को आरम्भ करना ।

2. नए पालिटेक्निकों को सीमित संख्या में आरम्भ करना ।

3. स्थापित किए गए पालिटेक्निकों को सुदृढ बनाना ।

4. सतत शिक्षा केंद्रों और खेलों को स्थापित करना ।

5. ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों की महिलाओं, छात्रों और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए कार्यक्रम का विस्तार करना ।

6. अतिरिक्त भवनों, छात्रों के छात्रावासों और स्टाफ-निवासों का निर्माण ।

कोटि-सुधार

1. पालिटेक्निक शिक्षकों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम ।

2. राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या विकास केंद्रों और अध्ययन स्रोत विकास केंद्रों की स्थापना करना ।

3. संगणक केंद्रों की स्थापना करना ।

4. प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं को आधुनिक बनाना ।

5. यमुना विन्दु प्रवेश और ऋण-पद्धति को आरम्भ करना ।

6. उद्योग-संस्थान-आपसी-तालमेल केंद्रों सैलों को स्थापित करना ।

दक्षता सुधार

1. राज्य निदेशालयों और तकनीकी शिक्षा बोर्डों की प्रशासनिक और प्रबंध-संरचना को सुदृढ बनाना ।

2. राज्य और पालिटेक्निकल स्तरों पर परियोजना-क्रियान्वयन इकाइयों की स्थापना करना ।

3. चुनिन्दा पालिटेक्निकों को स्वायत्तता स्वीकृत करना ।

4. अनुरक्षण कार्यक्रमों की स्थापना करना और आन्तरिक राजस्व उत्पति मे सुधार करना ।

Urdu Medium Composite Model School in Delhi

1425. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT *be* pleased to state:

(a) the number of composite model schools established so far in Delhi;

(b) the number of Urdu medium composite model schools established so far; and

(c) whether the students of Urdu medium composite model schools are getting education through the same medium in the primary schools, if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (c): According to the information furnished by Delhi Administration, 1991 Government composite model schools are es tablished by the Education Department of Delhi Administration, out of which 3 are Urdu medium composite model schools. In other composite schools the provision of teaching Urdu as a subject is made according to the requirements.

मुरादाबाद में विद्यालय की छत का गिर जाना

1426. श्री राम नरेश यादव :
श्री कृष्ण कुमार बिरला :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 फरवरी, 1993 को दिल्ली से प्रका-

शित "जनसत्ता" में "मुरादाबाद में स्कूल की छत गिरने से 22 मरे. मलबे में सैकड़ों बच्चे अभी भी दबे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने बच्चों की मृत्यु हुई है;

(ग) घायल बच्चों के इलाज के लिए राज्य-सरकार ने कितनी सहायता धनराशि दी है ; और

(घ) यदि इस संबंध में कोई जांच की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से मिली रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 13--2 93 को दोपहार 12.30 बजे, मुरादाबाद में मुहल्ला कटरा बंशीधर स्थित यज्ञ भवन जूनियर हाई स्कूल की तिमंजिली इमारत की छत गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप 23 बच्चों और 4 शिक्षकों सहित 28 व्यक्तयों की मृत्यु हो गई । इसके अतिरिक्त 19 बच्चों तथा एक शिक्षक सहित 23 लोगों को चोटें आई । दुर्घटना के तुरन्त बाद, स्थानीय पुलिस तथा स्थानीय लोगों ने मलबे में से बच्चों को बाहर निकालने मे हर सम्भव सहायता की। घायलों को उपचार के लिए मुरादाबाद के यदी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कराया गया । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 338 तथा 304 "ए" के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक तथा दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मृतक के परिवार को 20,000/- रुपए तथा प्रत्येक घायल के परिवार को 2,000/- रुपये अनुग्रह राशि के रूप में मंजूर किए गए । भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, राज्य सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से सभी जिला मजिस्ट्रेटों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को सभी स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए निर्देश जारी किए ।

नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लगभग सभी स्कूलों की व्यवस्था राज्य अथवा केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होती है जो संबंधित स्कूल शिक्षा अधिनियम अथवा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में स्कूलों को नियंत्रित करते हैं । स्कूल शिक्षा का कोई केंद्रीय अधिनियम नहीं है । अतः उत्तर प्रदेश सरकार भविष्य में स्कूल के छात्रों के हित में अब उत्तर प्रदेश में प्रचलित स्कूल शिक्षा के राज्य अधिनियम के उपयुक्त प्रावधान या उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार आगे की कार्यवाही कर सकती है ।

Subsidy for Revised pay Scales ol Teachers in Bihar

1427. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have withheld Rs. 40 Crores due to the Government of Bihar as subsidy for the revised pay scales of tear hers;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) by when the amount withheld is proposed to be released?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (c): In pursuance of the National Policy on Education—1986, Government of India announced in June, 1987, a scheme of Revision of Pay Scales of teachers in universities and colleges and other measures for maintenance of standards of higher educatialn). The Government also decided ot provide financial assistance to the State Governments to the extent of 80 per cent of the additional expenditure involved in implementation of the Scheme. The Central asisstance was to be provided for the period from 1-1-1986 to 31-3.1990. The payment of Central assistance was subject to the con-